उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-61/2020/एस-2-1447/दस-2020-88क(2)/2017
लखनऊ :: दिनाँक:: 04 अगस्त, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री गिरीश चन्द्र चौबे, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, बीज एवं तराई विकास निगम, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।
2	श्री कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-61/2020-एस-2-1447(1)/दस-2020,तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, बीज एवं तराई विकास निगम,लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन),लखनऊ।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।